फर्द अहकाम

रघुनाथ बनाम तहसीलदार

न्यायालय

संख्या 41/2016

दावा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी द्वारा साक्ष्य न पेश की को मौखिक बहस करना चाहिए। जिस वकील वादी की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 7/2/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कुल्लू	
	7/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी का वाद बावजह खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल है। यथा डिक्री जारी हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कुल्लू	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री अतहर आमिर उल शफी खान, आई.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 41/2016

रज्जु दिनांक : 16/03/2016

निर्णय दिनांक : 7/02/2018

रघुनाथ कुमावत पुत्र श्री मांगीलाल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी नहर की ढाणी जोरपुरा, तन बोराज तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 व सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति – श्री मंजूर अली
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 07/02/2018

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 01 के आराजी खसरा नम्बर 72 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका वादी एकमात्र् काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा हैं। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 38 रकबा 01 बीघा वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी किस्म बंजड अव्वल सिवायचक बिला लगानी दर्ज है, जो प्रस्तुत पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029 से भलींभांति साबित है, जिसमें नाम भोक्ता के कॉलम में ठा. नारायण सिंह मजकूर दर्ज है तथा साबिक खसरा नम्बर 38 रकबा 01 बीघा किस्म बंजड़ अव्वल दर्ज है, उक्त आराजीयात पर पहले वादी के पिता मांगू पुत्र

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

बुधा मौके पर काबिज काश्त थे, जिसमें कुछ आराजीयात को बाहजोत करते थे एवं कुछ आराजीयात को मौके पर बाड़ा बनाकर एवं अपना मकान बनाकर निवास के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। जब तक वादी के पिता जीवित रहे मौके पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते रहे, उनके स्वर्गवास के पश्चात वर्तमान में वादी शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। समय–समय पर जो खसरा परिवर्तनशील बनायी गयी, उनमें भी पहले वादी के पिता मांगू पुत्र बुधा का कृषक के रूप में नाम दर्ज है एवं उनके मरने के पश्चात वर्तमान में जो खसरा परिवर्तनशील बनायीगयी है, उनमें वादी का नाम दर्ज चला आ रहा है, जो इस वाद–पत्र के साथ पेश की जा रही है, जिनसे भी बखूबी साबित है कि उक्त आराजीयात पर वषो से वादी व उसके पिता का कब्जा काश्त रहा हैं। इसके पश्चात जो जमाबन्दीयां बनायी गयी, उनमें सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से उक्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 72 रकबा 0.2500 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर दी गयी जो कि गलत है, जबकि मौके पर उक्त आराजीयात कभी भी रास्ते के रूप में मौजूद नही रही है तथा मौके पर उक्त आराजीयात वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजीयात रही हे, जो इन्द्राज किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया गया है, वह मात्र सहवन से लिपिकीय भूलवश हुआ हैं। वादी को उक्त गलत इन्द्राज की कभी भी जानकारी नही रही अभी हाल ही में दिनांक 18/2/2016 को प्रतिवादी के कारकुनान पटवार हल्का मौके पर आकर वादी को बेदखल करने की धमकी दी कि उक्त आराजीयात गै. मु. रास्ता है, जिस पर वादी ने दस्तोवजों की नकल प्राप्त की तो वादी को समस्त तथ्यों की जानकारी हुई, जिस पर वादी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी, जिससे वादी को उक्त वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में हाल खसरा नम्बर 72 रकबा 0.2500 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. रास्ता हजफ की जाकर उसके स्थान पर किस्म बंजड अव्वल सिवायचक बिला लगानी दर्ज की जाकर वादी को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र, दस्तावेजात नकल खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी प्रमाणित प्रति एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 38 रकबा 01 बीघा वाके ग्राम बोराज में किस्म बंजड़ अव्वल सिवायचक बिला लगानी दर्ज है, जो पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029 से साबित है, जिसमें नाम भोक्ता के कॉलम में ठा. नारायण सिंह मजकूर दर्ज हैं। समय-समय पर जो खसरा परिवर्तनशील बनायी गयी उसमें पहले वादी के पिता मूं पुत्र बूधा का नाम दर्ज है, उसके पश्चात वादी का नाम दर्ज है, लेकिन मात्र भूमि पर कब्जा के आधार पर नाम दर्ज होने से ही कोई व्यक्ति खातेदार काश्तकार नही हो जाता है विवादित भूमि की किस्म बंजड़ अव्वल सिवायचक बिला लगानी दर्ज है, जो कि सरकारी भूमि है, जिस पर यदि किसी व्यक्ति का कोई कब्जा है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता हैं और न्यायालय एक अतिक्रमी व्यक्ति को बढावा देकर संरक्षण नही कर सकता हैं। रही बात वर्तमान में उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 72 रकबा 0.2500 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. रास्ता होने की जो कि उक्त भूमि की वर्तमान में जो किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज की गयी हे, वह उसकी प्रकृति एवं उपयोग के आधार पर की गयी है, मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट अनुसार "वर्तमान में खसरा नम्बर 72 मौके पर बतौर रास्ता उपयोग हो रहा है व आगे के आजू-बाजू के खसरा नम्बर में आना जाना चालू हैं। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर मौके पर खाली है व यदि कभी वादी या वादी के पिता ने उक्त खसरा नम्बर 72 पर अतिक्रमण किया था तो समय-समय पर मौके से बेदखल कर उक्त रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया हैं। वर्तमान में उक्त प्रश्नगत खसरा नम्बर 72 रकबा 0.25 हैक्टेंयर किस्म गै.मु. रास्ता मौके पर गै.मु. रास्ता के रूप में आने जाने हेतु उपयोग उपभोग हो रहा हैं। अतः खसरा नम्बर 72 की किस्म गै.मु. रास्ता ही रखा जाना उचित हैं वादी का वाद झूंठा हैं।" इस प्रकार तहसीलदार मौजमाबाद की रिर्पोर्ट अनुसार भी वादी मात्र उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त था और एक अतिक्रमी को बेदखल करने का न्यायालय को अधिकार हैं

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

तथा उक्त खसरा नम्बर मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रहा है इसलिये इसकी किस्म गै.मु. रास्ता सही रूप से दर्ज की गयी हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युकत विवेचन अनुसार वादी का वाद चलने योग्य न होकर खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः वादी का वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 72 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिकी जारी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

7.2.18

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर (राज0)।

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : [illegible]

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible], जिला [illegible]

बइजलास श्री कैलाश [illegible] आशीष [illegible], आर.ए.एस.

[illegible] कैलाश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल [illegible] बनाम [illegible], तह० [illegible], जिला [illegible]

[illegible] वि. [illegible] दावा बाबत [illegible] इन्द्राज

मुकदमा नं. 41/2016 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री [illegible] वकील वादी

निम्नलिखित मुद्दई रूबरू

व हाजिरी निम्नलिखित मुद्दाअलेह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

अतः वादी का वाद वास्ते आराजी ख. नं. 74 रकबा 0.2500 है० कुल किता 01 कुल रकबा 0.2500 है० वाके ग्राम [illegible] तह० [illegible] के बाबत खारिज किया जाता है।

मुवलिग नागरा

जो इस मुकदमें के मय सूद नराराह फीसदी ता आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 02 सन् 2018 को

जारी की गई।

दस्तखत [signature] सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) बूंदी

ओहदा